न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीना
आर० ए० एस०

वाद संख्या :- 03/2020

उनवान

1. पूरणमल पुत्र स्व० कानाराम
2. श्रवणा पत्नि स्व० रामनाथ
3. मनभर पुत्री स्व० रामनाथ
4. कल्याणसहाय पुत्र स्व० रामनाथ
5. हरसहाय पुत्र रामनाथ
6. लच्छू पुत्र स्व० रामनाथ
7. सुरजा पुत्र स्व० रामनाथ
8. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० रामनाथ
9. मुकेश कुमार पुत्र स्व० रामनाथ
समस्त जाति जाट निवासी खोरालाडखानी
तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
... वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार
तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
.. प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा विनिमय खातेदारी अन्तर्गत
धारा-88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,
1955.

=0=

निर्णय

दिनांक :- 30/1/2020

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद बाबत घोषणा विनिमय खातेदारी अन्तर्गत धारा-88 व 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत

..②

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत न्यायालय हाजा में दिनांक 20.1.2020 को मय शपथ-पत्र दो प्रतियों में इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी संख्या-1 ग्राम खोरालाडखानी तहसील आराजी खसरा नम्बर 1339/0.14 है० के 1/32 हिस्से का, खसरा नम्बर 3726/0.13 व 3727/0.14 है० कुल बीघा-2 रकबा 0.27 है० के 1/4 हिस्सा का, आराजी खसरा नम्बर 3310/0.29, 3311/0.35 कुल बीघा-2 रकबा 0.64 है० के 1/2 हिस्सा का तथा आराजी खसरा नम्बर 3486/0.66 है० के हिस्सा 1/9 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 3626/0.64, 3642/0.58 व 3643/0.21 कुल बीघा -3 रकबा 1.43 है० के हिस्सा 1/8 भाग के वादी संख्या-2 व 3 तथा आराजी खसरा नम्बर 3608/2.32 है० के हिस्सा 1/8 भाग के वादी संख्या-2 तथा 4 लगायत 9 खातेदार काश्तकार हैं तथा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

2. वादीगण उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं, जो एकही परिवार के व्यक्ति होकर कुटुम्बी हैं, जिन्होने आपसी सहमति व रजामन्दी से अपनी सुविधा के अनुसार अपनी जोतो का वादी संख्या-1 के हिस्से की सहखातेदारी की भूमि के रकबा का वादीगण संख्या 2 लगायत 9 के रिकार्डेड सहखातेदारी की भूमि के रकबा तथा भूमि कि किस्म उपजाऊ वगैरह भी बराबर बराबर होने से विनिमय कर विनिमय-पत्र दिनांक 1.3.2019 को उप-पंजीयक मनोहरपुर से पंजीकृत करवा लिया तथा विनिमय के अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं।

3. वादीगण ने रिकार्ड आफ राईटस में नाम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी को विनिमय विलेख की प्रति पेश कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए निवेदन किया तो उन्होने आन लाईन स्वीकारोक्ति नहीं होने का मौखिक कारण बताकर नामान्तकरण दर्ज नहीं किया अपितु उक्त पंजीकृत विलेख के आधार पर खातेदारी विनिमय घोषणा हेतु चाराजोही करने हेतु कहा, जिस कारण वादपत्र प्रस्तुत करना अति आवश्यक हुआ। यदि उक्त विनिमय दिनांक 1.3.2019 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जाता है तो वादीगण को नाकाबिले तलाफी होगी तथा उन्हे विधिक अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा, जिससे अपूर्णनीय क्षति कारित होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में धनराशि में सम्भव नहीं हो सकेगी। दावा उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है, जिसे सुनने व तय करने का मान्य न्यायालय हाजा को

(3)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः पंजीबद्ध विनिमय-पत्र के आधार पर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाने के आदेश प्रदान करें।

4. वादपत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली गयी तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी। प्रतिवादी की ओर से वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि वर्तमान में तहसील शाहपुरा के नामान्तरकरण की कार्यवाही ऑन लाईन की जाती है, जिसमें विनिमय हिस्से में होने के कारण विनिमय का नामान्तरकरण दर्ज करने पर कम्प्यूटर सोफ्टवेयर में दर्ज नहीं हो पा रहा है।

5. उभयपक्षों की सहमति से बहस समाअत की गयी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात को इंगित करते हुए दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित पैरोकार ने भी कोई आपत्ति एवं उजरात पेश नहीं किये बल्कि अपने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने की अपनी सहमति व्यक्त की।

6. हमने उभयपक्षों के अभिवचनों पर विचार किया तथा प्रकरण के व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात पंजीबद्ध विनिमय-पत्र का अवलोकन कर मनन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की प्रतिलिपियों से आराजी मुतनाजा के वादीगण अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार होना प्रमाणित होते हैं तथा पंजीबद्ध विनिमय-पत्र दिनांक 1/3/2019 से उक्त अभिलिखित सहखातेदारान वादी संख्या-1 की सहखातेदारी की भूमि से वादीगण संख्या 2 लगायत 7 के द्वारा अपनी सहखातेदारी की भूमि का अपनी सुविधा व अपनी सहमति एवं रजामन्दी से विनिमय (एक्सचेन्ज) करना साबित है, तदनुसार उक्त पंजीबद्ध विनिमय-पत्र के आधार पर वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने में प्रतिवादी की ओर से भी कोई आपत्ति एवं अड़चन होना जाहिर नहीं की है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात व प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा से वादीगण का दावा बखूबी साबित होता है, जो डिक्री किये जाने योग्य है।

8. फलतः वादीगण का वाद बमय पंजीबद्ध विनिमय-पत्र दिनांक 1/3/2019 स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम खोरालाडखानी स्थित आराजी खसरा नम्बर 1339/0.14 है०, 3726/0.13 है०, 3727/0.14 है०, 3310/0.29, 3311/0.35 है० एवं 3486/0.66 है० की सहखातेदारी में से वादी संख्या-एक का नाम हजफ करके उसके स्थान पर वादीगण संख्या 2 लगायत 9 को उनके हिस्सेनुसार ..(4)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा राजस्थान
सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

तथा आराजी खसरा नम्बर 3626/0.64 है0, 3642/0.58 है0, 3643/0.21 है0 व 3608/2.32 है0 की सहखातेदारी में से वादीगण संख्या 2 लगायत 9 का नाम कलमजन कर के उनके स्थान पर वादी संख्या - एक को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पंजीबध्द विनिमय - पत्र दिनांक 1/3/2019 उक्त निर्णय का जुज समझा जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा के नाम तहरीर जारी हो।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.1.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :– /2020

उनवान

1. पूरणमल पुत्र स्व0 कानाराम
2. श्रवण पत्नी स्व0 रामनाथ
3. मनभर पुत्री स्व0 रामनाथ
4. कल्याणसहाय पुत्र स्व0 रामनाथ
5. हरसहाय पुत्र स्व0 रामनाथ
6. लच्छू पुत्र स्व0 रामनाथ
7. सुरज पुत्र स्व0 रामनाथ
8. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामनाथ
9. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 रामनाथ

} समस्त जाति जाट नि0 खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा विनिमय खातेदारी अन्तर्गत धारा–88, 49 आरटीए0

निर्णय दिनांकः 30/1/2020

अतः वादीगण का वाद बरूये पंजीबद्ध विनियम–पत्र दिनांक 01.03.2019 स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम खौरालाड़खानी शाहपुरा स्थित आ.ख.नं. 1339/0.14, 3726/0.13, 3727/0.14, 3310/0.29, 3311/0.35 एवं 3486/0.66 है0 की सहखातेदारी में से वादी सं.1 का नाम हज्फ कर उसके स्थान पर वादीगण सं. 2 लगा0 9 को उनके हिस्से अनुसार तथा आ.ख.नं. 3626/0.64, 3642/0.58, 3653/0.21 एवं 3608/0.32 है0 की सहखातेदारी में से वादीगण सं. 2 लगा0 9 का नाम हज्फ कलमजान करके उनके स्थान पर वादी सं.1 का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पंजीबद्ध विनियम–पत्र दिनांक 01.03.2019 उक्त निर्णय का जुज समझा जावे। तदानुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज तारीख 30/1/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
(नरेन्द्र कुमार मीणा) शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

द के खर्चे

		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
पत्र के लिए स्टाम्प कित पत्र के लिए स्टाम्प र्जी के लिए स्टाम्प ...... रुपये पर प्लीडर की फीस क्षियों के लिए निर्वाह – व्यय मिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड	